



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062026-273047
CG-DL-E-01062026-273047

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2682]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 1, 2026/ज्येष्ठ 11, 1948

No. 2682]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 1, 2026/JYAISTHA 11, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

का.आ. 2775(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1713 (अ) तारीख 15 अप्रैल, 2025 जो भारत के असाधारण राजपत्र सं. 1682, भाग – II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 15 अप्रैल, 2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में ओडिशा राज्य में इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड को उत्पादों के परिवहन के लिए, पारादीप- हलदिआ -बरौनी पाइपलाइन परियोजना के तहत, पाइपलाइन को तहसील- महाकालपारा, जिला- केन्द्रापारा और तहसील- कुजंगा, जिला- जगतसिंहपुर, राज्य- ओडिशा में बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन करने के लिये अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 19.04.2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी। और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
जिला :-केन्द्रापारा			राज्य :- ओडिशा		
तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
महाकालपारा	अखाड़ासाली - 77	635	0	2	88
		473	0	4	80
		474	0	7	68
		100	0	5	4
		485	0	1	60
		85	0	6	48
		84	0	2	64
		99	0	5	28
		487	0	5	76
		488	0	0	20
		490	0	0	20
		87	0	1	87
		86	0	2	88
		83	0	2	16
		554	0	0	20
		542	0	12	24
		54	0	15	20
		53	0	24	0
602	0	3	36		

जिला :- जगतसिंहपुर		राज्य :- ओडिशा			
तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
कुजंगा	नुआगढ़ -255	1225	0	14	40
		109	0	1	60
		110	0	2	24
		111	0	2	88
		112	0	2	40
		113	0	2	20
		114	0	2	24
		115	0	2	63
		116	0	2	0
		124	0	1	28
		98	0	3	0
		125	0	19	80
		126	0	1	28
		138	0	0	20
		139	0	0	20
		140	0	3	30
		142	0	0	20
		143	0	2	80
		144	0	3	60
		145	0	0	20
146	0	1	0		
147	0	2	56		
148	0	0	60		
150	0	5	70		

जिला :- जगतसिंहपुर		राज्य :- ओडिशा			
तहसील का नाम	गाँव का नाम	प्लॉट क्रमांक	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
कुजंगा	नुआगढ़ -255	151	0	20	88
		154	0	3	20
		155	0	2	80
		213	0	2	88
		103	0	0	20
		102	0	1	28
		101	0	2	24
		93	0	1	15

[फा. सं. आर-11017/2/2025-ओआर-II/ई-52411]

हरित कुमार साक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

S.O. 2775(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, published in the Extraordinary Gazette of India no. 1682, Part-II, section-3, sub-section (ii) dated 15th April 2025 vide S.O. No. 1713(E) dated 15th April 2025 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the Purpose of laying of Paradip-Haldia-Barauni Pipeline by Indian Oil Corporation Limited in **Tehsils Mahakalpara of Kendrapara District and Kujanga of Jagatsinghpur District in State of Odisha** for transportation of Petroleum Products.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public by 19.04.2025. And whereas, under sub-section (1) of section 6 of the said Act the Competent Authority has submitted report to the Central Government.

And whereas, the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
DISTRICT: KENDRAPARA			STATE: ODISHA		
Name of Tehsil	Name of Village	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
1	2	3	4	5	6
MAHAKALPARA	AKHADASALI - 77	635	0	2	88
		473	0	4	80
		474	0	7	68
		100	0	5	4
		485	0	1	60
		85	0	6	48
		84	0	2	64
		99	0	5	28
		487	0	5	76
		488	0	0	20
		490	0	0	20
		87	0	1	87
		86	0	2	88
		83	0	2	16
		554	0	0	20
		542	0	12	24
		54	0	15	20
		53	0	24	0
602	0	3	36		

SCHEDULE					
DISTRICT: JAGATSINGHPUR			STATE: ODISHA		
Name of Tehsil	Name of Village	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
1	2	3	4	5	6
KUJANGA	NUAGARH-255	1225	0	14	40
		109	0	1	60
		110	0	2	24
		111	0	2	88
		112	0	2	40
		113	0	2	20
		114	0	2	24
		115	0	2	63
		116	0	2	0
		124	0	1	28
		98	0	3	0
		125	0	19	80
		126	0	1	28
		138	0	0	20
		139	0	0	20
		140	0	3	30
		142	0	0	20
		143	0	2	80
		144	0	3	60
		145	0	0	20
146	0	1	0		
147	0	2	56		
148	0	0	60		
150	0	5	70		

DISTRICT: JAGATSINGHPUR			STATE: ODISHA		
Name of Tehsil	Name of Village	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
1	2	3	4	5	6
KUJANGA	NUAGARH-255	151	0	20	88
		154	0	3	20
		155	0	2	80
		213	0	2	88
		103	0	0	20
		102	0	1	28
		101	0	2	24
		93	0	1	15

[F. No. R-11017/2/2025-OR-II/E-52411]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.